पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / RTPS-02/2016 सो0–1455

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांकः– 21/11/2017

विषयः– **लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के अनुश्रवण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम–2011 राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं जनोपयागी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कतिपय निर्देश दिये जाते रहे हैं। दिनांक–09.11.2017 को भी विडियो काउन्फ्रेंस आयोजित कर इस विषय की पुनः समीक्षा की गयी एवं कतिपय निर्देश भी दिये गये।

इस अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु पुनः निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा हैः–

1. सभी RTPS काउन्टरों पर आवेदकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ (यथा–शेड, बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं काउन्टर पर साफ–सफाई) उपलब्ध होने का विशेष ध्यान रखना अत्यावश्यक है। इस हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय के पत्रांक–375, दिनांक–23.03.2017 द्वारा RTPS काउन्टरों के रख–रखाव इत्यादि के लिये सभी अनुमंडल एवं प्रखण्ड–सह–अंचल में स्थापित प्रति RTPS काउन्टर के लिये ₹50,000.00 की राशि उपलब्ध कराई गई है। अतः इस राशि का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करा लिया जाए।
2. सभी RTPS काउन्टरों पर सुगोचर स्थल पर सूचना पट्ट प्रकाशित किया जाए, जिसमें अधिसूचित सेवाओं की अद्यतन विवरणी, सेवावार निष्पादन की समयावधि, आवेदन के साथ वांछित कागजातों की सूची, अपीलीय तथा पुनर्विलोकन प्राधिकार की विवरणी, आवेदक द्वारा असंतुष्ट होने पर शिकायत दर्ज करने हेतु संबंधित वरीय पदधिकारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर के विषय में सूचना अंकित हो।
3. यह सुनिश्चित कराना भी आवश्यक है कि काउन्टर के सभी कर्मी कार्यालय अवधि में ससमय उपस्थित रहें एवं निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करते रहें। सभी RTPS काउन्टरों पर वितरण की व्यवस्था में सहयोग देने हेतु प्रखण्ड / अंचल कार्यालय से कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई हो।
4. RTPS काउन्टरों के सभी कार्यपालक सहायकों के पास डाटा कार्ड उपलब्ध एवं क्रियाशील रहे, इसे सुनिश्चित कराया जाए।
5. यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सभी काउन्टरों पर अधिष्ठाापित वेब कैमरा सूचारू रूप से काम कर रहा है एवं इसका प्रयोग प्रत्येक आवेदन प्राप्ति में किया जा रहा हो।
6. ऑन लाईन प्राप्त सभी आवेदनों को प्रतिदिन अचूक रूप से शत–प्रतिशत Download किया जाना है।

7. दाखिल खारिज के मामलों में यह विशेष निगरानी रखी जाए कि आवेदन अनिवार्य रूप से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के काउन्टर से ही लिये जा रहे हो तथा इसकी कम्प्यूटराईज्ड पावती (वेबकैम से लिये गये फोटो सहित) आवेदक को दी जा रही हो।

8. अपीलीय प्राधिकारों, नाम–निर्दिष्ट लोक सेवकों, प्रखण्ड सूचना प्रावैधिकी सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों का समय–समय पर अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु Refresher Training दिया जाना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण RTPS के नोडल पदाधिकारी एवं जिला आई0टी0 प्रबंधक की सहायता से कराई जा सकती है।

9. लोक सेवाओं का अधिकार प्रणाली में प्राप्त सभी निष्पादित आवेदनों का वितरण काउन्टर के माध्यम से ही कराया जाना अति महत्वपूर्ण है। इसकी जाँच हेतु आवेदन प्राप्ति पंजी से वितरण पंजी का मिलान, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की जाँच एवं वितरण हेतु लम्बित प्रमाण–पत्रों की गहन समीक्षा कर लिया जाये। अन्य प्रमाण पत्रों के अलावा राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं के लिए तैयार दाखिल खारिज शुद्धि पत्र एवं भूमि–स्वामित्व प्रमाण पत्र का वितरण भी RTPS काउन्टर से ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. बिहार भवन से निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्रों को प्रखण्ड स्तर पर अद्यतन Download किये जाने एवं इनके निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा की जाए।

11. मिशन द्वारा दिसम्बर 2016 से निष्पादित होने वाले सभी दाखिल खारिज एवं भूमि स्वामित्व पत्र को जिला के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के आलोक में शत प्रतिशत शुद्धि पत्रों एवं भूमि स्वामित्व पत्रों को अपलोड करने की समुचित व्यवस्था की जाए।

12. RTPS काउन्टर पर आवश्यक व्यवस्थाएँ, यथा–स्टेशनरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, काउन्टर कर्मियों के बैठने की सुगम व्यवस्था, नेम प्लेट, सभी कर्मियों को पहचान–पत्र इत्यादि उपलब्ध कराई जाए।

13. RTPS के संबद्ध सभी कर्मियों का अद्यतन मानदेय भुगतान एवं सेवा अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

14. RTPS काउन्टर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु मासिक भाड़े पर प्राप्त किये गये Generator का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

15. लोक सेवाओं का अधिकार की व्यवस्था में पारदर्शिता एवं सुगमता के उद्देश्य से प्रतिदिन तैयार सेवाओं की सूचना सुगोचर स्थान पर स्थित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था किया जाए।

16. सभी RTPS काउन्टरों पर अब तक हुए निरीक्षण/समीक्षात्मक बैठकों की कार्यवाही को गार्ड फाईल में संधारित किया जाना तथा उठाये गये बिन्दुओं/सुझावों/निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

17. Due Date Expired आवेदनों के शत–प्रतिशत मामले में अपीलीय प्राधिकार द्वारा Suo-motto appeal दायर करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

18. वरीय पदाधिकारियों द्वारा RTPS Counters के साप्ताहिक निरीक्षणों में उठाये गये बिन्दुओं/सुझावों/निर्देशों का प्रखण्डवार प्रतिवेदन समेकित कर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को समर्पित किये जाने की व्यवस्था किया जाए।

19. राज्य स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित दण्ड की राशि की वसूली का प्रतिशत काफी कम है। अतः यह आवश्यक है कि अधिरोपित दण्ड के राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाए।

अतः अनुरोध है कि RTPS योजना के सफल क्रियान्वयन एवं जन–जन तक इस व्यवस्था का लाभ पहुँचाने हेतु उपर्युक्त बिंदुओं का अनुपालन हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक